संख्या– 992/78–2–2013–53आई.टी./2012

प्रेषक,

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
राजस्व/ पंचायतीराज/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/ महिला एवं बाल विकास/ श्रम/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त ज़िलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ लखनऊ : दिनांकः 28 जून, २०१३

विषय : जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्त यूज़र चार्जेज़ के वितरण, व्यय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।

प्रिय महोदय/ महोदया,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.शासन द्वारा दिनांक २०.०२.२०१३ तथा तत्क्रम में दिनांक ०४.०४.२०१३ को जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आमजन को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु यूजर चार्जेज का निर्धारण एवं विभिन्न स्केटहोल्डर्स के मध्य इसके अंश विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये गये हैं। शासनादेश दिनांक २०.०२.२०१३ के अनुपालन में दिनांक ०१.०४.२०१३ से आमजन से सेवाओं के विरुद्ध नये यूजर चार्जेज का कलेक्शन किया जा रहा है तथा सर्विस सेन्टर एजेन्सियों द्वारा सरकारी स्टेकहोल्डर्स (सी.ई.जी., डी.ई.जी.एस. एवं सम्बन्धित विभागों) की अंश धनराशि को सी.ई.जी. के बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-५०३/७८-२-२०१३-५३आई.टी./२०१३, दिनांक ०४.०४.२०१३ के अनुपालन में यूजर चार्जेज के कलेक्शन एवं उसमें से सरकारी स्टेकहोल्डर्स की अंश धनराशि को अग्रिम के रूप में ई-पेमेन्ट विधि से सी.ई.जी. के बैंक खाते में अन्तरित करने की प्रक्रिया शीघ्र लागू की जानी है।

उक्त के क्रम में समस्त स्टेकहोल्डर्स की सुविधा हेतु यूज़र चार्जेज़ के वितरण, व्यय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश परिपत्र संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया अपने से सम्बन्धित कार्यवाही/प्रक्रिया से अवगत होते हुये तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्याः (1)/७८-२-२०१३ तद्दिनॉंक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.।
2. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी.।
3. मै. एस.आर.ई.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स लि., मै. सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि. एवं मै. वयम टैक्नोलोजीज़ लि.।

आज्ञा से,
(जे०पी०सिंह)
विशेष सचिव

जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु प्राप्त यूज़र चार्जेज़ के वितरण, व्यय एवं शासकीय देयताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश।

राज्य में नागरिकों की सुविधा हेतु एस.एस.डी.जी. एवं ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से स्टेट पोर्टल एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग कर ई-डिलीवरी से शासकीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं तथा भविष्य में इन सेवाओं एवं इन्हें प्रदान करने वाले अधिकृत केन्द्रों की संख्या में वृद्धि होना प्रत्याशित है। इन शासकीय सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदान करने की प्रक्रिया में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स भागीदार हैं जिनमें सेवा प्रदान करने वाले डिलीवरी केन्द्र, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत गठित सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.), जोकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है, समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटीज़ (डी.ई.जी.एस.), सेवा सम्बन्धी विभाग तथा एन.आई.सी., जोकि स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिये इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी है, सम्मिलित हैं। शासकीय सेवाओं हेतु यूज़र चार्जेज़ के निर्धारण तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२ द्वारा शासनादेश संख्या-१५२७/७८-२-२०१३-५३आई.टी./२०१२ दिनांक २० फरवरी २०१३ तथा शासनादेश संख्या-५०३/७८-२-२०१३-५३आई.टी./२०१२ दिनांक ०४ अप्रैल २०१३ जारी किये जा चुके हैं। इस परिपत्र का उद्देश्य यूज़र चार्जेज़ के कलेक्शन एवं उसके वितरण की प्रक्रिया को समस्त स्टेकहोल्डर्स तथा संस्थाओं की सुविधा हेतु एक स्थान पर समग्र रूप से प्रस्तुत करना है। किसी नियम, अधिनियम या विधिक प्राविधान के विपरीत पाए जाने पर निम्नलिखित मार्गनिर्देश प्रतिकूलता की सीमा तक निष्प्रभावी माने जायेंगे। विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही/प्रक्रिया निम्नवत है:-

१. एस.सी.ए./केन्द्र संचालकः-

(i) समस्त सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एस.सी.ए.) तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स के बैंक खाते में यूज़र चार्जेज़ के अग्रिम भुगतान के रूप में निर्धारित धनराशि जमा करेंगे। यह धनराशि स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ई-पेमेन्ट गेटवे का उपयोग कर इन्टरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से सी.ई.जी. के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(ii) एस.सी.ए. द्वारा अपने से सम्बन्धित जन सेवा केन्द्रों पर प्रति दिन औसतन रूप में प्राप्त हो रही यूज़र चार्जेज़ की धनराशि के तीन दिनों के बराबर प्राप्त होने वाली धनराशि अर्थात रु. १,१०,०००/- (रूपये एक लाख दस हज़ार मात्र) तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा अपनी आवश्यकता/सुविधा अनुसार धनराशि सी.ई.जी. के बैंक खाते में जमा की जायेगी परन्तु समय-समय पर अग्रिम भुगतान की इस धनराशि का सी.ई.जी. द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारण किया जा सकता है।

(iii) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों के स्तर से उक्त अग्रिम धनराशि जमा किये जाने वाला ट्रान्जेक्शन एक ट्रान्जेक्शन कहलायेगा तथा इस प्रकार के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन पर जमा की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त उनके खातों से ई-पेमेन्ट गेटवे के ट्रान्ज़ेक्शन चार्जेज़ काटे जायेंगे जोकि वर्तमान में इन्टरनेट पेमेन्ट/बैंकिंग विधि से रू. ५००.०० तक के ट्रान्ज़ेक्शन पर रू. ५.०० (सेवा कर अतिरिक्त) तथा रू. ५००.०० से अधिक के ट्रान्ज़ेक्शन पर रू. १०.०० (सेवा कर अतिरिक्त) निर्धारित हैं। इसी प्रकार डेबिट कार्ड विधि से किसी भी धनराशि के ट्रान्ज़ेक्शन पर रू. १८.०० (सेवा कर अतिरिक्त) निर्धारित हैं।

(iv) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों को उनके खातों में उपलब्ध जमा धनराशि की सूचना एन.आई.सी. द्वारा विकसित स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा प्रत्येक सेवा के ट्रान्ज़ेक्शन हेतु आमजन से यूज़र चार्जेज़ की धनराशि प्राप्त की जायेगी। वर्तमान में राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर अन्य

शासकीय सेवाओं हेतु आमजन से प्राप्त किया जाने वाला यूज़र चार्ज रू. २०/- है जिसमें से एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक का अंश रू. १०/- निर्धारित है। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त खतौनी सेवा के लिये आमजन से प्राप्त किया जाने वाला यूज़र चार्ज रू. ३०/- है जिसमें से एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक का अंश रू. १५/- निर्धारित है। एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक अपने अंश को अपने पास रखने हेतु अधिकृत है। शेष धनराशि में अन्य सरकारी स्टेकहोल्डर्स (सी.ई.जी., डी.ई.जी.एस. एवं सम्बन्धित विभाग) का अंश सम्मिलित है। एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा सी.ई.जी. के बैंक खाते में अग्रिम के रूप में जमा की गयी धनराशि से उपरोक्तानुसार प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के विरूद्ध सरकारी स्टेकहोल्डर्स (सी.ई.जी., डी.ई.जी.एस. एवं सम्बन्धित विभाग) के अंश के समतुल्य कटौती की जायेगी।

(vi) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा यूज़र चार्जेज़ के अपने अंश की धनराशि पर नियमानुसार अपने स्तर से तथा अपनी ओर से सेवाकर जमा किया जायेगा तथा विधिक अपेक्षायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराई जाएँगी।

(vii) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा ट्रान्ज़ेक्शन्स को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये सी.ई.जी. के बैंक खाते में न्यूनतम अग्रिम धनराशि जमा रखनी होगी। एस.सी.ए. के लिये यह धनराशि रू. १०,०००/- से कम होने तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों के लिये सेवा के एक ट्रान्ज़ेक्शन के विरूद्ध सी.ई.जी., डी.ई.जी.एस. एवं सम्बन्धित विभाग के कुल आगणित अंश से कम हो जाने की स्थिति में एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक की स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सुविधा बंद हो जाएगी जो अपेक्षित धनराशि जमा करने के पश्चात ही सुलभ हो सकेगी।

(viii) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यवाही/प्रक्रिया भविष्य में स्थापित होने वाले केन्द्रों पर भी लागू होगी।

२. <u>सी.ई.जी.</u>:-

(i) शासकीय सेवायें आमजन को सुलभ प्रकार से उपलब्ध कराने तथा इन सेवाओं के विरूद्ध प्राप्त यूज़र चार्जेज़ की धनराशि के सदुपयोग हेतु नोडल संस्था के रूप में सी.ई.जी. समस्त स्टेकहोल्डर्स के मध्य सामंजस्य स्थापित कराने का कार्य करेगी। इस हेतु सी.ई.जी. द्वारा कार्य/प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक सूचनायें समय-समय पर स्टेकहोल्डर्स को उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ii) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा सी.ई.जी. के बैंक खाते में अन्तरित की गयी धनराशि का मिलान एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी एम.आई.एस. रिपोर्ट्स से करने के उपरान्त सी.ई.जी. द्वारा प्रत्येक माह में एक बार अपने खाते में जमा हुई धनराशि में से एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर अन्य सरकारी स्टेकहोल्डर्स (सम्बन्धित डी.ई.जी.एस. एवं विभाग) की देय धनराशि को उनके बैंक खातों में अन्तरित किया जायेगा।

(iii) सी.ई.जी. द्वारा उपरोक्तानुसार अपने खाते से अन्य सरकारी स्टेकहोल्डर्स के खातों में धनराशि सेवाकर की कटौती करने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी।

३. <u>डी.ई.जी.एस.</u>:-

(i) जनपद स्तर पर ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) अपने स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रयास करेगी एवं नियमित रूप से जनपद स्तर पर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के कार्यो की समीक्षा करते हुये स्थानीय कठिनाइयों का समाधान करायेगी।

(ii) सोसाइटी द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा में योजना से सम्बन्धित एक बैंक खाता खुलवाकर उसकी सूचना सी.ई.जी. को प्रेषित की जायेगी।

ii) सोसाइटी द्वारा एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर अपने खाते में सी.ई.जी. द्वारा अन्तरित की गयी धनराशि का नियमित रूप से मिलान कराने, समुचित लेखांकन तथा आडिट आदि कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त हुई धनराशि में से सोसाइटी द्वारा नियमानुसार आयकर तथा अन्य कर यदि देय हो, की कटौती कर उसे जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(v) यूज़र चार्जेज़ के अंश की प्राप्त धनराशि का व्यय आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों तथा नियमावली के अधीन किया जायेगा।

४. <u>विभाग</u>:-

(i) योजनान्तर्गत ऐसे समस्त विभाग जिनकी सेवायें जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा में अपना एक बैंक खाता खुलवाकर उसकी सूचना सी.ई.जी. को प्रेषित की जायेगी।

(ii) विभागों द्वारा एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर अपने खाते में सी.ई.जी. द्वारा अन्तरित की गयी धनराशि का नियमित रूप से मिलान तथा लेखांकन कराने के उपरान्त आडिट आदि की कार्यवाही की जायेगी।

(iii) विभागों द्वारा अपने अंश की धनराशि में से अपने अधीन ईकाइयों/जनपदीय कार्यालयों के अंश हेतु इन ईकाइयों/कार्यालयों का खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में खुलवाकर अपने स्तर से इन्टरनेट बैंकिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से धनराशि ट्रान्सफर की जा सकती है।

(iv) विभागों द्वारा यूज़र चार्जेज़ के अंश की प्राप्त धनराशि का व्यय आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र.शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों तथा नियमावली के अधीन किया जायेगा।

५. <u>एन.आई.सी.</u>:-

(i) योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी तथा स्टेट पोर्टल एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

(ii) स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ट्रान्ज़ेक्शन्स की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स प्राप्त करने के उद्देश्य से एस.सी.ए./केन्द्र संचालक, सी.ई.जी., डी.ई.जी.एस. एवं सम्बन्धित विभागों को लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iii) स्टेट पोर्टल एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ई-पेमेन्ट गेटवे के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) प्रत्येक स्टेकहोल्डर हेतु ट्रान्ज़ेक्शन्स की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स तैयार कर स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेंगीं।

(v) सी.ई.जी. के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि में से अन्य सरकारी स्टेकहोल्डर्स (सम्बन्धित डी.ई.जी.एस. एवं विभाग) की देय धनराशि के अंश को उनके बैंक खातों में अन्तरण हेतु धनराशि का स्क्रॉल उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता को सी.ई.जी. के सहयोग से निस्तारित किया जायेगा।

(vii) एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों के खातों में उपलब्ध जमा धनराशि की सूचना स्टेट पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जमा धनराशि के न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो जाने पर सी.ई.जी. तथा जमाकर्ताओं को आवश्यक अलार्म प्रेषित किया जाएगा।